



पत्रांक— ३८) / १३८ साठप्र०— Empanelment / २०

दिनांक ६ / ०७ / २०२०

### कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग में कठिपय Consultants के सूचीबद्धता प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक—३०.०६.२०२० तक की निर्धारित है। वर्तमान में कोविड-१९ (Covid-19) के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण Consultants को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है, जिस हेतु Consultants द्वारा सूचीबद्धता प्रमाण पत्र में ०३ माह का समय विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कोविड-१९ (Covid-19) के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मार्ग कार्या (श्रेणी—R1/R2) एवं सेतु कार्या (श्रेणी—B1/B2) में ऐसे Consultants जिनके सूचीबद्धता प्रमाण पत्र दिनांक—३०.०६.२०२० को समाप्त हो रहे हैं, उनके नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक—३०.०९.२०२० तक समय विस्तार किये जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें। पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शेष शर्तें यथावत रहेगी।

### आज्ञा से प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि— सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०, देहरादून को अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय / रा०मा०/वर्ल्ड बैंक/पी०एम०य०, ए०डी०बी० / पी० एम० जी० एस० वाई०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पौड़ी / देहरादून/हल्द्वानी।
२. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ..... वां वृत्त, लो०नि०वि०, .....।
३. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर—प्रथम/द्वितीय, एवं अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
४. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ..... लोक निर्माण विभाग, .....।
५. अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
६. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, / / विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
७. गार्ड पत्रावली हेतु।

मम्प  
०४.७.२०२०  
(इ० अयाज अहमद)  
मुख्य अभियन्ता स्तर—। (नि०)